कार्यालय : महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर

ए. बी. रोड, इंदौर - 452001 (मध्य प्रदेश)
website:http://www.mgmmcindore.in/

email :dean-mgmmc@mp.gov.in

विज्ञप्ति

महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर से संबन्धित चिकित्सालयों के परिसर मे आधुनिक एकीकृत वेंडिंग सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, संचालयन और रखरखाव हेतु Expression of Interest आमंत्रित किया जाता है। उपरोक्त कार्य की अधिक जानकारी निर्धारित वेवसाइट . http://www.mgmmcindore.in/ पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदन कर्ता अपना आवेदन सील बंद लिफाफे में दिनांक 02 / 11 / 2019 / तक महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर के कार्यालय में जमा कराये।

पत्रांक

दिनांक

महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज , इंदौर

आधुनिक एकीकृत वेंडिंग सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण , संचालन और रखरखाव

कार्य का विवरण और नियम शर्ते :

इस कार्य के दायरे में निम्न लिखित गतिविधियां संचालित की जाएगी :

1. आधुनिक एकीकृत वेंडिंग सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण , संचालन और रखरखाव।

क) लगभग 100-400 वर्ग फीट एकीकृत सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण ,संचालन और रखरखाव ।

ख)उपयोगकर्ताओ को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए शौचालयों में सुरक्षा और सुरक्षित उपयोग प्रवेश प्रणाली । स्वचालित उपयोगकर्ता प्रवेश प्रणाली के प्रावधान को प्राथमिकता मिलेगी ।

ग)कियोस्क पर सुरक्षित स्वचालित भुगतान का प्रावधान । प्रवेश शुल्क स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

घ)आधुनिक एकीकृत वेंडिंग सुविधा में बोतलबंद पेयजल , पेय पदार्थ , अल्पाहार , समाचार पत्र , मोबाइल रिचार्ज आदि बेचे जा सकेंगे , जिनकी दरें चि. म .प्रशासन द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

ङ)आधुनिक एकीकृत वेंडिंग सुविधा एवं शौचालय परिसर के लिए पानी का कनेक़शन चि.म . द्वारा प्रदाय किया जाएगा । आवेदनकर्ता जिम्मेदार तरीके से पानी का उपयोग करेगा और पानी की बर्बादी से बचने के लिए सभी सावधानियाँ बरतेगा । साथ ही यदि उक्त पानी का कोई देयक नगर निगम द्वारा लिया जाता है तो उसका भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा किया जाएगा ।

च)बिजली ई आपूर्ति सफल आवेदनकर्ता आधुनिक एकीकृत वेंडिंग सुविधा एवं शौचालय परिसर के अंदर उचित रोशनी के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा । आवेदनकर्ता द्वारा बिजली उपभोग की गई बिजली का भुगतान किया जाएगा ।

2. अभिगम्य , सुरक्षा और स्वच्छता :

सफल आवेदन कर्ता को क्षेत्र की स्वच्छ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शौचालय परिसर की और आस पास की स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता है ।स्वच्छता शर्तो को बनाए रखने के लिए सफल आवेदनकर्ता द्वारा निम्न लिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा ।

क)शौचालय परिसर में विकलांग एवं वृद्धों के लिए स्किड फ्री रैम्प के साथ बाधा रहित मार्ग होना चाहिए ।

ख)शौचालय परिसर में कम से कम दो उचित द्वि- भाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) दिशा निर्देश होना चाहिए ।

ग)शौचालय परिसर में टाइलेट पेपर , सिंक , हैंडवॉश , पेपर टावेल आदि की सुविधा हर समय उपलब्ध होना अनिवार्य है।

घ) कचरा पात्र का प्रावधान , डिस्पोज़ेबल कैरी बेग के साथ शौचालय परिसर के बाहर भी होने चाहिए। कचरा पात्र दो प्रकार के होने चाहिए। हरे रंग के बिन को जैविक अपशिष्ट जैसे की खाद्य पदार्थ के बचे हुये हिस्से, कागज और अन्य जैव अपघटनीय कचरे को अलग करने के लिए और अकार्बनिक कचरे जैसे प्लास्टिक , बोतल आदि के लिए एक अलग नीले रंग का बिन ।

ङ) शौचालयों की स्वच्छता की स्थिति को साफ करने और बनाए रखने और हर उपयोग के बाद उसी की जांच करने के लिए एक रखरखाव स्टाफ की पूर्णकालिक तैनाती ,वर्दी में होनी चाहिए।

च) उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित और सुरक्षित दरवाजे का प्रावधान होना चाहिए ।

छ) बाहरी गतिविधियो की निगरानी के लिए आउटडोर सीसीटीवी इकाई और उपयोगकर्ता गिनती की स्वचालित मशीन होनी चाहिए ।

ज) आधुनिक एकीकृत वेंडिंग सुविधा में खाद्य पदार्थो और अन्य वस्तुओं को Fssai मानकों / दिशा निर्देशों के अनुसार को बेचना होगा ।

झ) आनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वच्छता स्तर की जांच करने के लिए वाशरूम आई॰ओ॰टी या अन्य समान तकनीकी उपलब्ध होनी चाहिए ।

ञ) सुरक्षा और स्वच्छता उपायों की सुनिश्चितता करने के लिए महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज इंदौर को लागिन पोर्टल उपलब्ध करना होगा ।

3. सूचना

सफल आवेदन कर्ता ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शौचालय परिसर के उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया रिपोर्ट के साथ उपयोग की जानकारी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज , इंदौर को प्रस्तुत करेगा ।

4. पात्रता मानदंड :

तकनीकी क्षमता

1. आवेदनकर्ता होना चाहिए :

क) भारतीय कंपनी आधिनियम , 1956 के तहत पंजीकृत है ।

ख) भारतीय भागीदारी अधिनियम , 1932 के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म।

ग) किसी भी रूप में कंसोर्टीयम/ जाईंट वेंचर्स की अनुमति नहीं है। डीआईपीपी में पंजीकृत

स्टार्टअप को गुणवत्ता मानकों या तकनीकी मानकों में किसी भी छूट के बिना पूर्व अनुभव में छूट दि जाएगी ।

2.आवेदनकर्ता को पूर्व में 01 (एक) पे एंड यूज शौचालय परिसर के संचालन और रख रखाव में अनुभव होना चाहिए ।

3. आवेदनकर्ता के पास शौचालय परिसरो के संचालन और रख रखाव के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। आवेदनकर्ता को उन कर्मचारियों को प्रबंधित करने का अनुभव होना चाहिए जो इस प्रकार के कार्य का अनुभव रखते हो।

4. आवेदनकर्ता के पास वैध GSTIN होना चाहिए।

5. आवेदनकर्ता के पास पिछले एक आकलन वर्ष के लिए वैध आय कर रिटर्न और पैन कार्ड होना चाहिए।

6. आवेदनकर्ता या अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बोली लगाने वाले के निदेशकों / भागीदारों को मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में स्मार्ट शौचालय के स्थापना एवं संचालन का अनुभव होना चाहिए ।

7. आवेदनकर्ता को भारत में किसी प्राधिकरण द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाना चाहिए. इस आशय के संदर्भ में बोली के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

8.आवेदनकर्ता को एकीकृत वेडरिंग सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी नगर निगम / सहकारी संस्था / प्राधिकरण द्वारा जारी मौजूदा कार्य आदेश की प्रति को प्रस्तुत करना होगा।

9.आवेदनकर्ता को प्रबंधन के न्यूनतम तीन स्तरीय एस्कीलेशन मेट्रिक्स प्रदान करनी होगी ।

10.आवेदनकर्ता को संचालन और रखरखाव के लिए " मानक कार्य विधि" के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

5. विशेष शर्ते :

1. एकीकृत वेंडिंग सुविधा के साथ सार्वजनिक शौचालय के संचालन और रख रखाव के आवेदनकर्ताओं को प्रथम दो वर्ष की अवधि के लिए अनुवंध किया जाएगा तथा कार्य से संतुष्ट होने पर अनुबंध को तीन वर्षो के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

2. समझौते के पूरा होने के बाद, वेंडिंग सुविधा से जुड़े सभी चल संपत्ति का स्वामित्व आवेदनकर्ता के पास रहेगा। हस्तांतरण के पूर्व आवेदनकर्ता को वेंडिंग सुविधा से जुड़े सभी चल संपत्ति हटानी होगी।

6. मूल्यांकन मानदंड

आवेदनकर्ताओं को नीचे वर्णित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं को उनके अंकों के आधार पर उच्चतम अंकों से न्यूनतम अंकों तक श्रेणीबद्ध किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं का मूल्यांकन 60 अंक या उससे अधिक होने पर ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार आवेदनकर्ताओं को अंक प्रदान किये जायेंगे।

योग्यता अंक अनुसूची -			
1	केवल मध्य प्रदेश क्षेत्र में आवेदनकर्ता की क्षमता:		
1.1	आवेदनकर्ता लगाने वाले का न्यूनतम अनुभव 0-1 वर्ष	10 अंक	20 अंक
	आवेदनकर्ता लगाने वाले का अनुभव 1 वर्ष से अधिक होने पर	20 अंक	
1.2	1 यूनिट असाइनमेंट करने का अनुभव	10 अंक	30 अंक
	2 से 3 यूनिट असाइनमेंट करने का अनुभव	20 अंक	
	3 से अधिक यूनिट असाइनमेंट लेने का अनुभव	30 अंक	
1.3	आई.ओ.टी या अन्य समान तकनिकी आधारित प्रबंधन एवं सञ्चालन प्रणाली	30 अंक	30 अंक
1.4	आवेदनकर्ता का टर्नओवर 2.5 लाख तक	05 अंक	10 अंक
	आवेदनकर्ता का टर्नओवर 2.5 लाख से 5.0 लाख तक	10 अंक	
1.5	आवेदनकर्ता द्वारा संचालन और रखरखाव प्रस्ताव की गुणवत्ता	10 अंक	10 अंक
		कुल	**100 अंक**

असाइनमेंट: सार्वजनिक शौचालय जिसमें 100 वर्ग फुट या अधिक क्षेत्र में एकीकृत वेंडिंग सुविधा उपलब्ध हो।

7. सेवा स्तर का आकलन

सफल आवेदनकर्ता नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार सेवा स्तर के मानदंड का पालन करेगा।

क्र.सं.	**मूल्यांकन मानदंड**	**बेंचमार्क**
1	संचालन के दिन	सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रत्येक माह में शौचालय परिसर न्यूनतम 26 दिन कार्य करेगा।
2	शौचालय और वेंडिंग कियोस्क का संचालन	परिसर में शौचालय हर समय कार्यात्मक होगा और किसी भी हालत में शौचालय के बिना वेंडिंग कियोस्क कार्य नहीं करना चाहिए।
3	संचालन समय	एकीकृत वेंडिंग सुविधा महात्मा गाँधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौरद्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यात्मक होगा।
4	रखरखाव	संदर्भ की शर्तों में निर्दिष्ट सभी घटक कार्यात्मक होंगे।
5	स्वच्छता	हर उपयोग के बाद शौचालय की जाँच और सफाई की जाएगी।